

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक : 03/विविध-06-12/2015...../राँची, दिनांक :

कार्यालय-आदेश

श्री संजीव कुमार (जे.सी.-0009), कनीय अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान अंचल-01, राँची को एतद् द्वारा IGNOU से Self Study mode में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से B.A. की शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति अधोवर्णित शर्तों के साथ दी जाती है -

- (i) इनके शिक्षा अवधि में सरकारी कार्य सुचारु रूप से किया जायेगा तथा विभागीय हित अक्षुण्ण रहेगा।
 - (ii) प्रैक्टिकल करने हेतु नियमानुसार सक्षम प्राधिकार से अवकाश प्राप्त करना आवश्यक होगा।
 - (iii) उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेने पर Out of term प्रोन्नति का दावा मान्य नहीं होगा।
 - (iv) इस शिक्षा के लिये किसी प्रकार का द्यूशन-शुल्क, यात्रा भत्ता अथवा छात्रवृत्ति अनुमान्य नहीं होगा।
2. आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह. / -

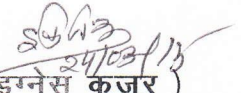
(इग्नेस कुजूर)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :- 1061

राँची, दिनांक :- 24-03-15

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची/अधीक्षण अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान अंचल-01, राँची/वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/संबंधित कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(इग्नेस कुजूर)

सरकार के अवर सचिव।

24/3/15